न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 69/2024 (उदयपुर डिकी)

1. श्रीमती रकम पत्नी सुखलाल जी मीणा, निवासी कपूरिया फला झूंथरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. विनोद कुमार पिता बाबूलाल जी मीणा, निवासी असारीवाडा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी बाबूलाल जी मीणा, निवासी भोमटावाडा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. दौलतराम पिता हुका जी मीणा, निवासी भोमटावाडा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. पूनमचन्द पिता काना जी मीणा, निवासी भोमटावाडा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. मुकेश कुमार पिता हांजा जी मीणा, निवासी माकडजपा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.) नाम विलोपित किया गया
5. रमेशचन्द्र पिता नगजी मीणा, निवासी मोथली, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :– 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री भावेश जैन अभिभाषक रे0 सं0 1 से 3

(2) प्रकरण संख्या 84/2025 (उदयपुर डिकी)

रमेशचन्द्र पिता नगजी मीणा, निवासी मोथली, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी बाबूलाल जी मीणा, निवासी भोमटावाडा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. दौलतराम पिता हुका जी मीणा, निवासी भोमटावाडा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. पूनमचन्द पिता काना जी मीणा, निवासी भोमटावाडा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. मुकेश कुमार पिता हांजा जी मीणा, निवासी माकडजपा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.) नाम विलोपित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:17 IST
Reason: SelfAttested

5. श्रीमती रकम पत्नी सुखलाल जी मीणा, निवासी कपूरिया फला झूंथरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. विनोद कुमार पिता बाबूलाल जी मीणा, निवासी असारीवाडा, तहसील नयागांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :– 1. श्री सुनील सोमानी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री आशीष दोवडिया अभिभाषक रे.सं. 1 से 3
3. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 5, 6

---/---

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अ॰–1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा दिनांक 13.06.2023 प्रकरण सं0 49/2020

---::---

निर्णय **दिनांक 07–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य के खाता संख्या 218 की आराजी नंबर 853, 854, 855, 859, 954 कुल किता 5 रकबा 1.1600 हैक्टर भूमि मौजा बंजारिया में स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 2/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 217 की आराजी नंबर 949 रकबा 0.2800 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 2/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा इसी अनुसार पक्षकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन में बदनियती आ जाने से वादीगण के हिस्से की भूमि हड़पना चाहते हैं तथा बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बा[illegible] [illegible]न किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 [illegible] पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:17 IST
Reason: SelfAttested

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–02–2023 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13–06–2023 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपील संख्या 69/2024 न्यायालय हाजा में दिनांक 22–07–2024 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील संख्या 84/2025 जिसके दर्ज करते समय प्रकरण संख्या 18/2024 थे दिनांक 26–03–2024 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु प्रकरण संख्या 18/2024 न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26–11–2024 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी थे, जिसे पुनः नंबर पर लेने हेतु अपीलान्ट द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 11/2004 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20–05–2025 को स्वीकार किया जाकर पत्रावली अपील संख्या 84/2025 के रूप में पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी।

3. दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. दोनों अपीलों में विवादित आराजियात तथा पक्षकारान समान होने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 49/2020 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13–06–2023 के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

5. दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से उनकी ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये तथा देरी के कारणों का उल्लेख करते हुए देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार किये जाने का निवेदन किया गया तथा ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

6. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। दोनों प्रकरणों में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में अपीलों की मयाद कण्डोन की जाकर अपीलें अन्दर मियाद मानी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:17 IST
Reason: SelfAttested

7. अपील संख्या 69/2024 के विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थित रहने की कोई सूचना तहसीलदार द्वारा अपीलान्टगण को नहीं दी गयी है, न ही विभाजन में कब्जे को देखा गया है यहां तक कि नक्शा भी रंगीन तैयार नहीं किया गया है तथा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अपीलान्ट को विभाजन में पीछे की तरफ की भूमि दी गयी है, जबकि उनका कब्जा आगे की तरफा था। अपीलान्टगण के फहरिश्त बंटवारे पर हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13–06–2023 अपास्त की जावे तथा प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने एवं विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः अंतिम डिक्री जारी करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689, आर.बी.जे. 2022 पेज 446 एवं आर.बी.जे. 2022 पेज 632 प्रस्तुत की।

8. अपील संख्या 84/2025 के विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18–04–2023 को जो आदेश पारित किया है, उसके बाद अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी एवं उन्हें बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट को पीछे की तरफ भूमि दी गयी है, जो मुख्य मार्ग से एप्रोचेबल ही नहीं है। उक्त भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने में विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अपीलान्टगण के फहरिश्त बंटवारे पर हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13–06–2023 अपास्त की जावे तथा प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने एवं विभाजन नियम 18

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:17 IST
Reason: SelfAttested

से 21 की पालना करते हुए पुनः अंतिम डिक्री जारी करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

9. उक्त दोनों अधिवक्ताओं की बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है तथा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

10. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। विवादित भूमि के खातेदार मुकेश द्वारा दौराने दावा अपना हिस्सा रमेशचन्द्र व विनोद कुमार को विक्रय कर दिया गया, जिसका अंकन पटवारी रिपोर्ट एवं बंटवारा फरिश्त में भी किया गया है, इसके बावजूद उन्हें बंटवारा प्रस्ताव बनाने हेतु कोई सूचना नहीं दी गयी है, न ही उन्हें सुना गया है, जो बंटवारा नियमों का उल्लंघन है। प्रारम्भिक डिक्री में नाम में संशोधन अवश्य किया गया, परन्तु उन्हें कोई सूचना पत्र/सम्मन जारी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा फहरिश्त के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

11. अतः दोनों अपीलें अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13–06–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर तथा पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा फहरिश्त तैयार किया जाकर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 07–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीति[illegible])
भू–प्रब[illegible]धिका[illegible]
एवं पदेन राजस्व अ[illegible]धिकारी
उदयपु[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:17 IST
Reason: SelfAttested